



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION
P.W.D BHATWARI (UTTARKASHI) PIN- 249135
Fax No-01374-244321



E.Mail-eepwdbhatwari@rediffmail.com

दिनांक 02/06/2021

पत्रांक
सेवामें,

1239/अ.अ.

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।
विषय :- जनपद उत्तरकाशी में मुस्टिकसौड़-कुरोली मोटर मार्ग के कंकराड़ी बैण्ड से किशनपुर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.163 है० वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/Road/23851/2017).
सन्दर्भ :- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पत्रांक-8वी०/ यू०सी०पी०/०६ /100/2018 / एफ०सी०/ 1208 दि० 09/09/2020।

SN.	Conditions	Compliances
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
3	प्रतिपूरक वनीकरण :- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.326 है० गैर वानिकी भूमि ग्राम गेंवला सिविल खसरा नं० 1638 रकवा-0.688 है० खसरा नं० 4951 रकवा -0.627 है० तथा खसरा नं० 4996 रकवा-1.00 है० में वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वादेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजाति एंकर प्लांटेशन से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (घ) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरवानिकी भूमि ग्राम गेंवला सिविल खसरा नं० 1638 रकवा 0.688 है०, खसरा नं० 4951 म० रकवा 0.627 है०, 4996 म० रकवा 1.100 है० कुल भूमि 2.415 है० में से 2.326 है० प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रु० 7,84,290.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं०-150896123851309 कारपोरेशन बैंक, लोदी कॉम्प्लैक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते में जमा कर दी गयी है। (जमा चालान की छाया प्रति संलग्न)। (ख) इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किया जा चुका है। (खतौनी की नकल संलग्न है)। (ग) पार्श्व शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा किया जाना है। (प्रमाण पत्र संलग्न) (घ) पार्श्व शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा किया जाना है।
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य :- (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA 556 दि० 30.10.2020, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5-1/1998-एफ०सी० (pt. 2) दि० 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दि० 3.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रसव के तहत 1.163 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 1.350 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत रु० 7,64,091.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या 150896123851309 कारपोरेशन बैंक, लोदी कॉम्प्लैक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा चालान की छाया प्रति संलग्न)

NAME



	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है। (प्रमाण पत्र संलग्न)
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 96 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	पार्श्व शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
6	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one Year from the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) द्वारा चालान तैयार कर रु 15,48,381.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या 150896123851309 कारपोरेशन बैंक, लोदी कॉम्प्लेक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा पर्ची संलग्न)
8	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुपालन हेतु एफ0 आर0 ए0 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
11	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को रज्यीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक इंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक इंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
14	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लगातार पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नहीं की गयी है। (प्रमाण पत्र संलग्न)
15	परियोजना कार्य के लिये निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
16	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
18	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रसारित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दि० 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)

AMS

21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगे कि वह अन्य एक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जायेगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
23	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आवश्यक प्रपत्रों/अभिलेखों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पर अपनी संस्तुति उपरान्त नोडल कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- अपर मुख्य वन संरक्षक नोडल कार्यालय भूमि संरक्षण निदेशालय इन्दिरानगर देहरादून। (ई-मेल द्वारा)
- 2:- अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
- 3:- वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनि की रेति, ऋषिकेश। (ई-मेल द्वारा)
- 4:- सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी।

o/c

भवदीय
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D.,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135

Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eePWD bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा नहीं बदली जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D.,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135

Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eeepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि सौंपी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D.,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135

Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eeepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पार्श्व शर्त के अनुसार वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D.,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135

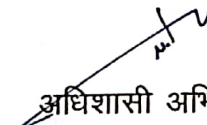


Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eeppwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ४ का "ख")

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली कर नामित बैंक में जमा की जायेगी।


अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



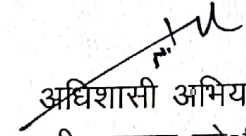
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVL. DIVISION P.W.D.,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135

Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 96 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की जायेगी।


अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D.,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135

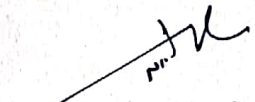


Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eePWD bhatwari @ rediffmail.com

CERTIFICATE

This is certified that State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one Year from the date of issue of such permission.


Executive Engineer
PD. P.W.D. Bhatwari



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135



Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eeepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुपालन हेतु एफ0 आर0 ए0 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D.,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135



Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eeepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जाने का कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार कर दिया जायेगा ।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVL. DIVISION P.W.D.,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135

Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eePWD bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार कर दिया जायेगा ।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135



Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eeepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार नहीं बदला जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D.,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135



Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eePWD bhatwari @rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D.,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135



Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eePWD bhatwari @rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को रज्यीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक इधन दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVL. DIVISION P.W.D.,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135

Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eeepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार परियोजना कार्य के निष्पादन/निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135

Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eeepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D.,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135



Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135



Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eeepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D.,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135



Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eeepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दि0 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135



Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eePWD bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होने का अनुपालन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D.,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135



Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eeepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगे कि वह अन्य एक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जायेगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति न होने का अनुपाल किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D.,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135



Phone & Fax- 01374-244321

E-Mail-eeepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी का अनुपालन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
भटवाड़ी